संख्या- 180 /2026/ 2143 /चार-2026-2073175

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2026**

विषय:- जनपद वाराणसी में संत शिरोमणि श्री गुरू रविदास जी महाराज की 650वीं जयन्ती समारोह पर आयोजित प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1065/सं0नि0-15(57)/2026-27, दिनांक 27 जुलाई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक 29 एवं 30 जुलाई, 2026 को जनपद वाराणसी में संत शिरोमणि श्री गुरू रविदास जी महाराज की 650वीं जयन्ती समारोह का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर होने वाला व्यय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग की अनुमोदित दरों पर कराया जाना प्रस्तावित करते हुए कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नवत् उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	**विवरण**	**अनुमानित धनराशि (रू0 लाख में)**
1.	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर व्यय	5.00
2	संत शिरोमणि श्री गुरू रविदास महाराज की जीवनशैली पर आधारित प्रदर्शनी (02 स्थलों पर) हेतु वुडनवॉल, वॉलबेस, फ्लावर डेकोरेशन, विनायल सनबोर्ड बोर्ड इत्यादि	7.50
3.	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु भजन संध्या स्थल पर वाटर प्रूफ मंच पाण्डाल, जर्मन हैंगर, लाइट, साउण्ड, साज-सज्जा, बैकड्राप, बैनर, होर्डिंग्स इत्यादि पर व्यय इत्यादि	16.00
4.	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के आवास, भोजन, यातायात, बैकस्टेज इत्यादि पर व्यय	4.50
	योग- (रूपये तैंतीस लाख मात्र)	**33.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में **संत शिरोमणि श्री गुरू रविदास जी महाराज की 650वीं जयन्ती समारोह पर आयोजित प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले अनुमानित व्यय रू0 33.00 लाख (रूपये तैंतीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय से शासन को एक माह में अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42 अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in